इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 मई 2017—ज्येष्ठ 3, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

क्र. 8589-107-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१७

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- २. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २५ सन् १९७२ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
- ३. धारा २ का प्रतिस्थापन.
- ४. धारा ३ का संशोधन.
- ५. धारा ४ का संशोधन.
- ६. धारा ५ का संशोधन.
- ७. धारा ६ का संशोधन.
- ८. धारा ७ का संशोधन.
- ९. धारा ९ का संशोधन.
- १०. धारा ९-क का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१७

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, २०१७

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक २४ मई, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और पारंभ

- १. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, २०१७ है.
- (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २५ सन् १९७२ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना. २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालाविध के दौरान, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तभा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ से १० में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का प्रतिस्थापन.

- ३. मूल अधिनियम की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - "२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

- (क) ''मंत्री'' में सम्मिलित है मुख्यमंत्री;
- (ख) ''पूर्व मुख्यमंत्री'' से अभिप्रेत है, उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री और उसमें सिम्मिलित है विद्यमान मध्यप्रदेश राज्य का ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री, जो उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था;
- (ग) ''विद्यमान मध्यप्रदेश राज्य'' तथा ''उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य'' के वही अर्थ होंगे जो कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० (२००० का २८) के खण्ड (ङ) तथा खण्ड (ञ) में उन्हें समनुदेशित हैं.

धारा ३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएं, अर्थात्:—

''परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के वेतन के समतुल्य मानदेय का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री का कोई पद धारण करता है तो वह उस कालाविध के दौरान ऐसे मानदेय का हकदार नहीं होगा.''. ५. मूल अधिनियम की धारा ४ में,-

धारा ४ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 - ''परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के समतुल्य सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा किन्तु वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के रूप में सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.'';
- (दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 - ''परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री के समतुल्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, किन्तु वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के रूप में दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.''.
- ६. मूल अधिनियम की धारा ५ में,-

धारा ५ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 - ''परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, अपने सम्पूर्ण जीवन काल में किराए के भुगतान के बिना, मंत्री के समतुल्य किसी सुसज्जित निवास स्थान के उपयोग का हकदार होगा.'';
- (दो) उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 - ''परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.'';
- (तीन) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तक जोडा जाए, अर्थात:—
 - ''परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.''.

७. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

धारा ६ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—
 - ''परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.'';
- (दो) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तक जोडा जाए, अर्थात:—
 - ''परन्तु इस उपधारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को वैसे ही लागू होगा जैसे कि यह किसी मंत्री को लागू होता है.''.

धारा ७ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, इस उपधारा के अधीन उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा.''.

धारा ९ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित विश्राम भवनों (सरिकट हाउसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाउसेज) में वास सुविधा तथा विद्युत की व्यवस्था का बिना किसी प्रभार के भुगतान के हकदार होगा.''.

धारा ९-क का संशोधन. १०. मूल अधिनियम की धारा ९-क में, अंतिम स्थान पर आए पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चातृ निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाए, अर्थात:—

''परन्तु इस धारा का उपबंध किसी पूर्व मुख्यमंत्री को भी लागू होगा.''.

भोपाल : दिनांक १८ मई, २०१७

ओम प्रकाश कोहली राज्यपाल, मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

क्र. 8589-107-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 of 2017

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN ADHYADHESH, 2017.

TABLE OF CONTENTS.

Sections:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Madhya Pradesh Act No. 25 of 1972 to be temporarily amended.
- 3. Substitution of Section 2.
- 4. Amendment of Section 3.
- 5. Amendment of Section 4.
- 6. Amendment of Section 5.
- 7. Amendment of Section 6.
- 8. Amendment of Section 7.
- Amendment of Section 9.
 Amendment of Section 9-A.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 of 2017

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN ADHYADHESH, 2017.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 24th May, 2017.]

Promulgated by the Governor in the sixty-eighth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhyadesh, 2017.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 10.

Madhya Pradesh Act No. 25 of 1972 to be temporarily amended.

3. For Section 2 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 2.

"2. In this Act unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "Minister" includes Chief Minister;
- (b) "Ex-Chief Minister" means the Ex-Chief Minister of the successor State of Madhya Pradesh and includes such Ex-Chief Minister of existing State of Madhya Pradesh who was elected from the Vidhan Sabha constituency of the successor State of Madhya Pradesh;
- (c) "existing State of Madhya Pradesh" and "successor State of Madhya Pradesh" shall have the same meaning as assigned to them in clause (e) and clause (j) of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000).
- 4. In Section 3 of the principal Act, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be added, namely:—

Amendment of Section 3.

- "Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled to an honorarium which shall be equivalent to the salary of a Minister:
- Provided further that if a Ex-Chief Minister holds any post of Minister in the Central Government or State Government, then he shall not be entitled to such honorarium during that period.".

Amendment of Section 4.

- 5. In Section 4 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (1), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—
 - "Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled to a sumptuary allowance equvalent to a Minister, but he shall not be entitled to the sumptuary allowance as a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly.";
 - (ii) in sub-section (3), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—
 - "Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled to a daily allowance equivalent to a Minister, but he shall not be entitled to the daily allowance as a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly.";

Amendment of Section 5.

- 6. In Section 5 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (1), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—
 - "Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled throughout his life, without payment of rent, to the use of a furnished residence eqivalent to a Minister.";
 - (ii) in sub-section (4), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—
 - "Provided that the provision of this sub-section shall apply to a Ex-Chief Minister as it apply to a Minister.";
 - (iii) in sub-section (5), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—
 - "Provided that the provision of this sub-section shall apply to a Ex-Chief Minister as it apply to a Minister.".

Amendment of Section 6.

- 7. In Section 6 of the principal Act,—
 - (i) in sub-section (1), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—
 - "Provided that the provision of this sub-section shall apply to a Ex-Chief Minister as it apply to a Minister.";
 - (ii) in sub-section (2), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—
 - "Provided that the provision of this sub-section shall apply to a Ex-Chief Minister as it apply to a Minister.".

Amendment of Section 7.

- 8. In Section 7 of the principal Act, in sub-section (1), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—
 - "Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled to the facilities provided under this sub-section.".

9. In Section 9 of the principal Act, in sub-section (3), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

Amendment of Section 9.

"Provided that a Ex-Chief Minister shall be entitled, without payment of any charge, to accommodation in and provision of electricity at, circuit houses and rest houses maintained by the State Government."

10. In Section 9-A of the principal Act, for full stop occuring at the last place, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

Amendment of Section 9-A.

"Provided that the provision of this Section shall also apply to a Ex-Chief Minister.".

Bhopal: Dated the 18th May, 2017

OM PRAKASH KOHLI Governor, Madhya Pradesh.